


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032022-234022
CG-DL-E-10032022-234022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]
No. 186]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/ फाल्गुन 18, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2022

सा.का.नि. 189(अ).—जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 88 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:-

1. (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) ये 7 जनवरी, 2021 से प्रभावी हुए माने जाएंगे।

2. भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 में,

(1) नियम 2 में, खंड (छ) में, उप-खंड (झ) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"(i) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी कोई भी सेवा, जो वातुकी से जुड़ी सेवा है और उसके सदस्य राजपत्रित स्थिति रखते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से, इन नियमों के उद्देश्य के लिए अनुमोदन कर सकती है: या "

(2) नियम 9 में, उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 14015/40/2021-अभासे-I(14)]

पंकज गंगवार, अवर सचिव

नोट: मूल नियमों को दिनांक 01 सितंबर, 1966 की अधिसूचना संख्या 02/06/64-अभासे(IV) के तहत अधिसूचित किया गया था और अंतिम बार दिनांक 09 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 14015/33/2010-अभासे(आई)-सी के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2022.

G.S.R. 189(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with section 88 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Forest Service (Recruitment) Amendment Rules, 2022.
(2) They shall be deemed to have come into force on the 7th day of January, 2021.
2. In the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966,—
(1) in rule 2, in clause (g), for sub-clause (i), following sub-clause shall be substituted, namely:—
“(i) any such service in a State or Union territory, being a service connected with forestry and the members thereof having Gazetted status, as the Central Government may, in consultation with the State Government or Union territory Administration, approve for the purpose of these rules: or”
(2) in rule 9, sub-rule (3), shall be omitted.

[F. No.14015/40/2021-AIS-I(14)]

PANKAJ GANGWAR, Under Secy.

Note: The principal rules were notified *vide* the Notification number 02/06/64-AIS(IV) dated the 1st September, 1966 and last amended *vide* Notification number 14015/33/2010-AIS (I)-C dated the 9th December, 2010.